कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (मु. अ.) सांगानेर

फर्द अहकाम

न्यायालय अनिता बनाम मोनी

संख्या 255/2023

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24/1/2025	पत्रावली पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। वादी ने संशोधित जवाब पेश किया। प्रतिवादी गण क्र. 3 से 7 ने जवाब प्रारम्भ बाबत आपत्ति बीना रिपोर्ट नहीं देकर सीधे बहस हेतु निवेदन किया। बहस सुनी गई। बहस जवाब व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया। अवलोकन करने पर वस्तुस्थिति सीमानेट द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन से ज्ञात हुआ कि ग्राम तिजारवाला के आराजी रकबा नं. 13 में आवासीय कॉलोनी विकसित हो रखी है इस आवासीय कॉलोनी में मकानात बने हुये जहां लोगों का निवास होता पाया गया है प्रकरण में अतिक्रमण रिपोर्ट बनाया जाना संभव नहीं है वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत तकसीम व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया हुआ अतिक्रमण नहीं बनने कि स्थिति में वादी का वाद स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी का वाद सहसोलदार सांगानेर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर खारिज किया जाता है पत्रावली फाईल शुमार होकर दफ्तर होवे वाद समयांतर हासिल की प्रति जारी हो। नियम अनुसार	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)